an>

Title: Need to constitute a vigilance cum Monitoring Committee to check the process of procurement of paddy by F.C.I. in West Champaran and Nalanda districts of Bihar.

श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो (बाल्मीकिनगर): मेरे राज्य बिहार में पिछले कुछ वर्षों से भारतीय खाद्य निगम के द्वारा जो किसानों का धान, गेहू खरीदा जाता है वो किसानों से सीधे नहीं लिया जाता है केवल बिचौलियों एवं व्यवसायियों के माध्यम से लिया जाता है । ऐसे किसानों का धान-गेहूँ, कम मूल्य में खरीद होती है जिसका खामियाजा किसानों को ही भुगतना पड़ता है । मेरे संसदीय क्षेत्र का पश्चिमी चम्पारण जिला एवं नालन्दा जिला इस समस्या से बहुत ज्यादा ग्रस्त है ।

इस समस्या को दूर करने के लिए बिहार राज्य में प्रत्येक जिला स्तर पर विजिलेंस एवं अनुश्रवण समिति बनाया जाये जिसके सदस्य जिले के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को रखा जाये एवं इसका अध्यक्ष जिले के संसद सदस्य (लोक सभा) हो । विजिलेंस एवं अनुश्रवण समिति के बन जाने से ही बिचौलियों एवं व्यवसायियों के माध्यम से धान-गेहूँ खरीदवाना रूकेगा । बिचौलियों एवे व्यवसायियों को इसके लिए कड़ा दंड की व्यवस्था किया जाय । इसके लिए वर्तमान कानून पर्याप्त नहीं है । इसके लिए विशेष कानून की व्यवस्था की जाये । इसके लिए आई.पी.सी. एवं सी.आर.पी.सी. में संशोधन किया जाये। इसकी पुरजोर मांग मैं केन्द्र सरकार से करता हूँ । पश्चिमी चम्पारण एवं नालन्दा जिला बिहार राज्य में इसी वर्ष से विजिलेंस एण्ड मॉनिटरिंग कमिटी बना दिया जाए ।